न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 117 / 2015 (उदयपुर डिक्री)

सीताराम भाट पिता श्री मोहनलाल भाट, निवासी सवीना खेड़ा, मठ्ठ मार्ग, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. गुसाई जी महाराज सवीना खेड़ा, श्री गोपालानन्द गिरी, गुरू स्वर्गीय श्री शिवगिरी जी महाराज, निवासी सवीना मठ्ठ, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 24.11.2015 प्र.सं. 297 / 10

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री नरेन्द्र देवपुरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सुनील शर्मा अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 11–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध एक वाद बाबत् कब्जा दिलाने एवं आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 17 रकबा 2.8000 हैक्टर भूमि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर ग्राम सवीना में स्थित है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 अथवा अन्य व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है, परन्तु

प्रतिवादी संख्या 1 वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 485 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि पर नाजायज कब्जा कर जबरन निर्माण कार्य कर लिया है तथा वादी की उक्त आराजी की तरफ नालदे व रोशनदान आदि कर दिये है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी प्रभावशाली व्यक्ति होकर वादी को आये दिन धमकाते रहते हैं तथा मरवा देने की धमकी देने हैं। अतएवं निवेदन किया कि आराजी नंबर 485 रकबा 0.0400 जिस पर प्रतिवादी ने अवैध निर्माण करवा लिया है उसका कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी को वाद वर्णित भूमि जिसके नाम पर पडोस वर्णित किये जा रहे हैं, उसका बापी पट्टा प्रतिवादी के पिता मोहन जी के नाम दिनांक 15–09–1951 को जारी किया गया। जवाबदावे में वर्णित पड़ोस के मध्य की भूमि का आवसीय भूखण्ड दिनांक 15–04–1949 को कलेक्टर ऑफिस उदयपुर से जारी होकर भूखण्ड का बापी पट्टा तहसीलदार कार्यालय से जारी किया गया, जब से वाद वर्णित पड़ोस की भूमि में प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी एवं उसके पश्चात् प्रतिवादी का कब्जा आज दिनांक तक चला आ रहा है। वादी का वाद मिथ्या होकर मियाद बाधित है। प्रतिवादी संख्या 1 का सन् 1949 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 2 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त भूमि की आराजी नंबर 485 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि वादी के खाते की होने से वादी पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ..... वादी
2. आया वादग्रस्त भूमि आबादी की होने से आबादी भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अप्रार्थी द्वारा बापी पट्टे आबादी भूमि पर ही निर्माण किया है जो सही है। ?..... प्रतिवादी

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 24–11–2015 से तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 485 से

प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–12–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री सुनील शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से आपैचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा संशोधित अपील प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कयासी आधारों पर होकर विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने पेश शुदा साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी गोपालानन्द की साक्ष्य का बिल्कुल विवेचन नहीं किया गया है तथा प्रतिवादी ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जो निर्माण कराया गया है वह अपीलान्ट की जमीन जो उसके द्वारा क्रय की गयी है उस पर कराया है। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने बयानों में स्पष्ट कथन किया है कि उसका आराजी नंबर 485 से कोई लेना–देना नहीं है। कब्जेयाबी के वाद में वादी को यह साबित कराना होता है कि उसकी जमीन पर प्रतिवादी ने नाजायज कब्जा कर लिया है केवल मात्र यह सिद्ध कर देना कि उसके खाते में आराजी नंबर 485 दर्ज है इस आधार पर कब्जेयाबी का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। कब्जेयाबी के वाद में धारा 163 के अनुसार अतिक्रमण सिद्ध करना आवश्यक है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु पर किसी तरह का विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट का प्लाट हल्का आबादी का है और उपखण्ड अधिकारी को आबादी भूमि बाबत् सुनवाई का अधिकार नहीं है।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात व रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा लिखित बहस पर पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दोनों तनकियों पर मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने कृषि भूमि आराजी नंबर 485 पर अपीलान्ट/प्रतिवादी का नाजायज कब्जा होने के आधार पर उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश दिया है। आराजी नंबर 485 कृषि भूमि है तथा उस पर अपीलान्ट के अतिक्रमण बाबत् तथ्य स्वतः सिद्ध हैं। अपीलान्ट/प्रतिवादी को यह बताना चाहिए था कि उसका कब्जा हटाने के लिए वाद मियाद बाधित है, लेकिन उसके द्वारा इस बाबत् ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे वाद कब्जेयाबी का मियाद बाहर हो। आराजी नंबर 485 कृषि भूमि है, जिसे अपीलान्ट आबादी भूमि होना बताता है तो उसे इसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करनी चाहिए था। इसके विपरीत राजस्व रेकार्ड में वादी/रेस्पोन्डेन्ट आराजी नंबर 485 का खातेदार दर्ज है तथा उस पर अपीलान्ट/प्रतिवादी का अतिक्रमण होने की साक्ष्य के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बदेखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–11–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

सीताराम भाट पिता मोहनलाल जी भाट, निवासी सवीनाखेड़ा, मठ्ठमार्ग, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

गुसाई जी महाराज सवीनाखेड़ा, श्री गोपालानन्द गिरी गुरू स्व0 श्री शिवगिरीजी महाराज, सवीना मठ्ठ, तहसील गिर्वा व अन्य

अपील नं.....**117 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**11**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेन्द्र देवपुरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री सुनील शर्मा**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–11–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।